रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1972/माघ 9, 1893

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY 29, 1972/MAGHA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 29th January, 1972

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Baggage Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Baggage (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Baggage Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,—

(i) in the opening paragraph, for the words "an adult paggenger", the words and figures "a passenger of and above the age of 12 years" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for the figures "18", the figures "12" shall be substituted.

3. In rule 6 of the said rules, the words "but less than two years" shall be omitted.

[No. 22-Customs/F. No. 495/85/71-Cus.VI]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 61(ई).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सामान नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सामान (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सामान नियम, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में नियम 3 में,

(i) प्रारम्भिक परा में, "वयस्थ यात्री" शब्दों के स्थान पर, "12 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्री" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) प्रथम परन्तुक में, "18" अंकों के स्थान पर, "12" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 6 में, "किन्तु दो वर्ष से कम" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

[सं० 22 सीमा-शुल्क/फा० स० 495/85/71—सीमा०]

पी० के० कपूर, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972